FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतू

उदाराम बनाम चोकाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज. अपील नं. 87/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/3/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिखाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/04/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
27/04/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी पावती रसीद प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक-11/10/2021 को पेश हो।	
11/10/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 15/12/2021 को पेश हो।	

15/12/2021

पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 हेतु ग्राम पंचायत - भोजासर में रखी गई प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि लेह सेढ आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के सेढो के मध्य जो पुरानी माठ व कूंडे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु नेयमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेयमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेयमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेयमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेयमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 202
राजस्व आवेदन सं
प्राथ
1. उदाराम पुत्र
जाति जा

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1478 दिनांकः– 15/12/21

राजस्व आवेदन संख्या –87 / 2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. उदाराम पुत्र रायमलराम जाति जाट, नि. हदाणियों की ढाणी पटवार मण्डल हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. पोकरराम पुत्र प्रहलादराम वगैरा जाति जाट, नि. लेंगो की ढाणी पटवार मण्डल सोहड़ा तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – लेंगो की ढाणी, पटवार मण्डल – सोहड़ा, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 97 / 2 रकबा 4.9695 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1479 to 1483 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

2. तहसीलदार गिड़ा
3. पटवारी हल्का सोहड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी श्री उदाराम पुत्र रायमलराम
5. विप्रार्थी श्री पोकरराम पुत्र प्रहलादराम वगैरा
6. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु